उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण

चर्चा में क्यों?

हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में [जल परिवहन एवं जल पर्यटन] को बढ़ावा देने हेतु 'उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण' के गठन को मंजूरी दी।

मुख्य बिंदु

- **जलमार्ग प्राधिकरण के बारे में:**
  - **जल परिवहन का विकास**: इसका उद्देश्य जलमार्गों का विकास कर जल परिवहन को बढ़ावा देना है, जिससे सड़क और रेल नेटवर्क पर दबाव कम होगा।
  - **जल पर्यटन का विकास**: साथ ही इसके गठन से जल पर्यटन के क्षेत्र में प्रगति हो सकती है। [गंगा नदी] और अन्य जलमार्गों के किनारे **महत्त्वपूर्ण शहर स्थित हैं,** जिन्हें पर्यटन के दृष्टिकोण से विकसित किया जा सकता है।
  - **संरचना:** प्राधिकरण का अध्यक्ष परिवहन मंत्री या मुख्यमंत्री द्वारा नामित जलमार्ग, जहाजरानी, नौवहन, बंदरगाह और समुद्री मामलों का विशेषज्ञ होगा।
    - उपाध्यक्ष की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाएगी।
    - [भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (IWAI)] के अध्यक्ष द्वारा नामित एक प्रतिनिधि भी इसका सदस्य होगा।
    - उत्तर प्रदेश के परिवहन आयुक्त इस प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी होंगे।
- **उल्लेखनीय है** कि देश में **111 राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किये गए हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश में गंगा, यमुना सहित कुल 11 राष्ट्रीय जलमार्ग हैं।**

भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (IWAI):

- IWAI, **जहाज़रानी मंत्रालय** (Ministry of Shipping) के अधीन **एक** [सांविधिक निकाय] है।
- इसका गठन भारतीय संसद द्वारा आईडब्ल्यूएआई अधिनियम, 1985 के तहत किया गया था।
- इसका मुख्यालय नोएडा , उत्तर प्रदेश में स्थित है। जबकि **क्षेत्रीय कार्यालय पटना, कोलकाता, गुवाहाटी और कोची** में तथा उप-कार्यालय प्रयागराज (पूर्व में इलाहाबाद), वाराणसी, भागलपुर, रक्का और कोल्लम में हैं।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/uttar-pradesh-inland-waterways-authority